संघ सरकार के वर्ष 2024–2025 के वित्त लेखों की टिप्पणियां
NOTES TO UNION GOVERNMENT FINANCE ACCOUNTS 2024-2025

1. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश

संघ सरकार के वित्त लेखे, सभी भौतिक मामलों में, संवैधानिक और वैधानिक प्रावधानों, भारत सरकार लेखा मानकों (आईजीएएस), सरकारी लेखांकन नियम 1990 (यह संशोधन के अधीन है), केंद्र सरकार लेखा (प्राप्तियां और भुगतान) नियम 2022, नियामक दिशानिर्देशों और संघ सरकार पर लागू लेखा समायोजन और समय–समय पर जारी सरकार के मौजूदा आदेशों के अनुरूप हैं।

1. Summary of Significant Accounting Policies

The Union Government Finance Accounts, in all material respects, conform to the Constitutional and statutory provisions, Indian Government Accounting Standards (IGAS), the Government Accounting Rules 1990 (this is under amendment), the Central Government Account (Receipts and Payments) Rules 2022, regulatory guidelines and accounting adjustments applicable to the Union Government and extant orders of Government issued from time to time.

1.1 रिपोर्टिंग इकाई:

केंद्र सरकार के वित्त लेखे, वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के अधीन महालेखा नियंत्रक कार्यालय द्वारा संकलित किए जाते हैं। केंद्र सरकार के वित्त लेखे, केंद्रीय लेन–देन विवरण, जर्नल प्रविष्टियाँ, पूर्व अवधि समायोजन और गैर–लेखा विवरण (आईजीएएस–I, II, III, IV और निवेश के अनुसार), विदेशी मुद्रा में विदेशी ऋणों का विवरण, बाजार ऋणों का विवरण, संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा उपलब्ध कराए गए राज्यवार, उपक्रमवार विवरण के आधार पर संकलित किए जाते हैं।

1.1 Reporting Entity:

The Union Government Finance Accounts are compiled by the office of Controller General of Accounts under the Department of Expenditure, Ministry of Finance. Union Government Finance Accounts is compiled on the basis of Statements of Central Transactions, Journal Entries, Prior Period Adjustments and non-accounting Statements (as per IGAS-I, II, III, IV and Investments), details of foreign loans in foreign currencies, details of market loans, details state wise, undertaking wise made available by the respective Ministries/Departments.

1.2 रिपोर्टिंग अवधि:

इन लेखों की रिपोर्टिंग अवधि 01 अप्रैल, 2024 से 31 मार्च, 2025 तक है।

1.2 Reporting Period:

The reporting period of these accounts is 01st April, 2024 to 31st March, 2025.

1.3 रिपोर्टिंग मुद्रा:

भारत सरकार के लेखे भारतीय रुपए (₹) में रिपोर्ट किए जाते हैं।

1.3 Reporting Currency:

The accounts of the Government of India are reported in Indian Rupees (₹).

1.4 नकद आधार – बजट और लेखांकन आधार:

ये लेखे रिपोर्टिंग अवधि के दौरान समायोजन के लिए अधिकृत बही को छोड़कर वास्तविक नकद प्राप्तियों और संवितरणों को दर्शाते हैं। प्राप्तियाँ राज्यों की वापसियों और समनुदेशन के निवल और व्यय वसूलियों के निवल हैं। सभी प्राप्तियों और संवितरणों को राजस्व या पूंजीगत और स्वीकृत या प्रभारित, जैसा भी लागू हो, के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

1.4 Cash Basis – Budget and Accounting Basis:

The accounts represent the actual cash receipts and disbursements during the reporting period with the exception of such book adjustments which are authorized. Receipts are net of refunds and assignment to states and Expenditure are net of recoveries. All receipts and disbursement are classified as Revenue or Capital and Voted or Charged, as applicable.

1.5 लेखांकन समायोजन:

लेखांकन समायोजन गैर–नकद लेनदेन होते हैं, जिनका सरकारी नकदी शेष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता और ये लेखों में समायोजन/निपटान के रूप में दिखाई देते हैं। इनमें से कुछ

1.5 Accounting Adjustments:

Accounting adjustments are non-cash transactions, which do not impact Government Cash Balance and appear in the accounts as adjustments / settlements. Some of these

लेनदेन में वेतन से राजस्व प्राप्तियों/ऋणों/सार्वजनिक लेखे में कटौतियों और वसूलियों का समायोजन, सार्वजनिक लेखे में निधियों का सृजन और अंशदान, सामान्य भविष्य निधि पर ब्याज का वार्षिक समायोजन, आकस्मिकता निधि की वसूली आदि शामिल हैं।

transactions include adjustments of deductions and recoveries from salaries to Revenue Receipts/Loans/Public Account, creation of and contribution to funds in Public Account, annual adjustments of interests on General Provident Fund, recoupment of Contingency Fund, etc.

1.6 भौतिक एवं वित्तीय परिसंपत्तियां एवं देयताएंः

भौतिक परिसंपत्तियाँ (जैसे भूमि, भवन, संपत्ति, उपकरण, बुनियादी ढाँचा और सुविधाएँ, आदि) और वित्तीय संपत्तियाँ (जैसे निवेश, ऋण और सरकार द्वारा दिए गए अग्रिम, आदि), साथ ही देनदारियाँ जैसे ऋण, आदि, ऐतिहासिक लागत पर मापी जाती हैं। भौतिक परिसंपत्तियों का मूल्यह्रास नहीं किया जाता है और वित्तीय संपत्तियों का परिशोधन नहीं किया जाता है।

वर्ष के दौरान विनिवेश किए गए शेयरों के अंकित मूल्य की सीमा तक की राशि को संबंधित लेखा शीर्षों के अंतर्गत प्रगतिशील पूंजीगत परिव्यय के साथ–साथ संबंधित उपक्रम में निवेश से घटाया जाता है।

1.6 Physical and Financial Assets and Liabilities:

Physical Assets (such as land, buildings, property, equipment, infrastructure and facilities, etc.) and Financial Assets (such as investments, loans and advances made by the Government, etc.), as well as Liabilities such as debt, etc., are measured at historical cost. Physical assets are not depreciated and financial assets are not amortized.

Amount to the extent of face value of shares disinvested during the year is reduced from the progressive Capital outlay under relevant heads of accounts as well as from investment in concerned undertaking.

1.7 सेवानिवृत्ति लाभः

रिपोर्टिंग अवधि के दौरान वितरित सेवानिवृत्ति लाभ लेखों में दर्शाए गए हैं, लेकिन पुरानी पेंशन योजना (सीसीएस पेंशन नियम, 2022) के तहत कर्मचारियों के लिए सरकार की भविष्य की पेंशन देयता, अर्थात अपने सेवानिवृत्त कर्मचारियों के भविष्य में सेवानिवृत्ति लाभ के भुगतान के लिए देयता लेखों में शामिल नहीं है।

1.7 Retirement Benefits:

Retirement benefits, disbursed during the reporting period, have been reflected in the accounts, but the future pension liability of the Government towards employees under the Old Pension scheme (CCS Pension Rules, 2022), i.e., the liability towards payment of retirement benefits in future of its retired employees are not included in the accounts.

1.8 आकस्मिक देयताएंः

सरकार द्वारा दी गई गारंटियों के संबंध में भारत सरकार की आकस्मिक देनदारियों को आईजीएएस 1: सरकार द्वारा दी गई गारंटियों की आवश्यकता के अनुसार विवरण सं.4 में लेखों में प्रकट किया जाता है।

1.8 Contingent Liabilities:

Contingent liabilities of the Government of India in relation to the Guarantees given by the Government are disclosed in the accounts in Statement No.4 as per the requirement of the IGAS 1: Guarantees given by the Government".

1.9 सहायता अनुदानः

भारत सरकार की गैर–बजटीय एजेंसियों और राज्य सरकारों तथा विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों को दी जाने वाली सहायता अनुदानों को, विशेष रूप से अधिकृत मामलों को छोड़कर, अनुदान प्राप्तकर्ता द्वारा उपयोग के उद्देश्य की परवाह किए बिना, संवितरण के समय राजस्व व्यय के रूप में स्वीकृत किया जाता है। भारत सरकार द्वारा प्राप्त सभी सहायता अनुदानों को राजस्व प्राप्तियों के रूप में स्वीकृत किया जाता है।

1.9 Grants in Aid:

Grants in aid to Government of India's non-budgetary agencies and the State Governments and Union Territories with Legislature are recognized as revenue expenditure at the time of disbursement irrespective of the objective of use by the grantee, except in cases specifically authorized. All grants in aid received by the Government of India are recognized as revenue receipts.

2. भारत की समेकित निधि

2.1 समेकित निधि की प्राप्तियां और संवितरणः

समेकित निधि के लिए वर्ष 2024–2025 हेतु प्राप्तियों और संवितरण की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं।

2. Consolidated Fund of India

2.1 Consolidated Fund's Receipts and Disbursement:

Highlights of Receipts and Disbursement for the Year 2024 – 2025 for the Consolidated Fund are as follows.

इस वर्ष कर राजस्व ₹25,09,496 करोड़ है।

वर्ष 2024–25 के लिए सामाजिक सेवाओं पर राजस्व व्यय ₹1,94,316 करोड़ है।

वर्ष 2024–25 के लिए पूंजीगत व्यय (ऋण को छोड़कर) ₹8,58,256 करोड़ है।

2.2 प्राप्तियांः

(i) भारत के संविधान के अनुच्छेद 270 के प्रावधान के अनुसार, वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के बाद, राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित कुछ करों की शुद्ध आय का कुछ प्रतिशत भारत की समेकित निधि में शामिल नहीं किया जाता, बल्कि राज्यों को सौंपा जाता है। इसलिए, लघु शीर्ष – '901– राज्यों को समनुदेशित शुद्ध आय का हिस्सा' को ऋणात्मक प्रविष्टि के रूप में दर्शाया जाता है। वर्ष 2024–25 में सकल कर राजस्व ₹37,96,381 करोड़ दर्ज किया गया है, जबकि वर्ष 2023–24 में यह ₹34,65,519 करोड़ था। केंद्रीय करों में राज्यों को राज्य का हिस्सा ₹12,86,885 करोड़ आवंटित किए जाने के बाद, भारत की समेकित निधि में रखी गई शुद्ध कर प्राप्तियाँ वर्ष 2024–25 में ₹25,09,496 करोड़ है, जबकि वर्ष 2023–24 में यह ₹23,36,025 करोड़ थी। वर्ष 2024–25 में कुल गैर–ऋण पूंजीगत प्राप्तियाँ ₹1,92,992 करोड़ थीं, जबकि वर्ष 2023–24 में यह ₹1,62,254 करोड़ थी। वर्ष 2024–25 में गैर–कर प्राप्तियाँ (पूंजीगत प्राप्तियों सहित) ₹9,32,469 करोड़ थी, जबकि वर्ष 2023–24 में यह ₹7,96,418 करोड़ थी। वर्ष 2024–25 में कुल ऋण प्राप्तियाँ ₹97,91,620 करोड़ थीं, जबकि वर्ष 2023–24 में यह ₹91,60,050 करोड़ थीं। वर्ष 2024–25 में सार्वजनिक ऋण और ऋणों व अग्रिमों की वसूली सहित पूंजीगत प्राप्तियाँ ₹99,84,612 करोड़ थीं, जबकि वर्ष 2023–24 में यह ₹93,22,304 करोड़ थीं।

(ii) वर्ष 2024–25 में विनिवेश के कारण आय ₹7,810 करोड़ हैं, जिनमें से ₹50 करोड़ शेयरों के अंकित मूल्य से संबंधित हैं और ₹7,760 करोड़ की राशि विनिवेश के कारण लाभ को दर्शाती है।

(iii) भारत सरकार, जहाँ भी लागू हो, विभिन्न संस्थाओं आदि को दी गई गारंटी के लिए गारंटी शुल्क प्राप्त करती है। वर्ष 2024–25 में गारंटी शुल्क के रूप में ₹1,080 करोड़ एकत्र किए गए, जबकि 2023–24 में यह राशि ₹1,358 करोड़ थी।

(iv) ऋण और अग्रिमों का पुनर्भुगतानः

वर्ष 2024–25 के दौरान ऋणों और अग्रिमों का पुनर्भुगतान ₹1,72,778 करोड़ था। 31 मार्च 2025 तक ऋणों और अग्रिमों का अंतिम शेष ₹9,94,278 करोड़ था, यह सरकार की वित्तीय संपत्तियाँ हैं।

2.3 संवितरणः

वर्ष 2024–25 में, राजस्व व्यय ₹39,87,374 करोड़ था और समेकित निधि में पूंजीगत व्यय (ऋण और कर्जों और अग्रिमों की चुकौती सहित) ₹95,98,495 करोड़ था, जबकि वर्ष 2023–24 में

Tax Revenue for the year is ₹25,09,496 crore.

Revenue Expenditure on Social Services for the year 2024-25 is ₹1,94,316 crore.

Capital Expenditure (excluding loan) for the year 2024-25 is ₹8,58,256 crore.

2.2 Receipts:

(i) As per provision of Article 270 of the Constitution of India, a percentage of net proceeds of certain taxes, as prescribed by the President, after considering the recommendations of the Finance Commission, do not form part of the Consolidated Fund of India, but is assigned to the States. Hence, Minor Head -'901- Share of Net Proceeds Assigned to States' is depicted as a negative entry. The Gross Tax Revenue in 2024-25 is accounted at ₹37,96,381 crore as against ₹34,65,519 crore accounted in 2023-24. After assignment of the State's share of the central taxes to the States of ₹12,86,885 crore, the Net Tax receipts retained in Consolidated Fund of India is ₹25,09,496 crore in 2024-25, as against ₹23,36,025 crore in 2023-24. Total Non-Debt Capital receipts in 2024-25 was ₹1,92,992 crore, as against ₹1,62,254 crore accounted in 2023-24. The Non Tax Receipts (including Capital Receipts) was ₹9,32,469 crore in 2024-25, as against ₹7,96,418 crore in 2023-24. Total Debt Receipts in 2024-25 was ₹97,91,620 crore, as against ₹91,60,050 crore accounted in 2023-24. The Capital Receipts including Public Debt and recovery of loans and advances in 2024-25 is ₹99,84,612 crore, as against ₹93,22,304 crore in 2023-24.

(ii) The proceeds on account of disinvestments in 2024-25 is ₹7,810 crore, out of which ₹50 crore pertains to the face value of shares and amount of ₹7,760 crore denotes gains on account of disinvestment.

(iii) The Government of India receives Guarantee Fee against the guarantee given by it to various entities etc., wherever applicable. In 2024-25, ₹1,080 crore was collected as Guarantee Fee, as against ₹1,358 crore in 2023-24.

(iv) Repayment of Loans and Advances:

The repayment of loans and advances during 2024-25 was ₹1,72,778 crore. As on 31st March 2025, the closing balance of the loan and advances was ₹9,94,278 crore, being financial assets of the Government.

2.3 Disbursements:

In 2024-25, Revenue expenditure was ₹39,87,374 crore and Capital expenditure (including Repayment of Debt and Loans and advances) in the Consolidated Fund was

यह क्रमशः ₹38,54,082 करोड़ और ₹84,60,983 करोड़ था।

₹95,98,495 crore, as against ₹38,54,082 crore and ₹84,60,983 crore respectively in 2023-24.

2.4 सहायता अनुदानः

वर्ष 2024–25 के लिए सामान्य, पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन और वेतन के लिए वितरित कुल अनुदान सहायता ₹8,49,839 करोड़ है। परिसंपत्तियों के सृजन से संबंधित होने पर भी अनुदान सहायता को राजस्व व्यय के रूप में वर्गीकृत किया गया है। 2024–25 के दौरान पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन के लिए जारी अनुदान सहायता ₹8,49,839 करोड़ की तुलना में ₹2,72,775 करोड़ है।

2.4 Grants-in-Aid:

Total Grants-in-aid disbursed for General, Creation of Capital Assets and Salaries for 2024-25 is ₹8,49,839 crores. Grants-in aid have been classified as Revenue expenditure even if it involves creation of assets. Grants-in-aid released for the Creation of Capital Assets during 2024-25 is ₹2,72,775 crore, as against total grant of ₹8,49,839 crore.

2.5 पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभः

भारत सरकार वर्तमान में पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) के तहत कर्मचारियों की मासिक पेंशन और सेवानिवृत्ति के समय पेंशन संबंधी लाभों की लागत के साथ–साथ राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) के तहत कर्मचारियों के लिए सरकार का हिस्सा वहन करती है। वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों पर सिविल मंत्रालयों/विभागों, दूरसंचार और रक्षा के लिए ₹2,73,772 करोड़, रेलवे के लिए ₹60,203 करोड़ और डाक के लिए ₹11,967 करोड़ का व्यय दर्ज किया गया था।

2.5 Pensions and other Retirement Benefits :

Government of India presently bears the cost of monthly pensions and pensionary benefits at the time of superannuation for the employees under the Old Pension Scheme (OPS) as well as share of the Government for the employees under the National Pension Scheme (NPS). Expenditure on Pensions & other Retirement Benefits for Financial Year 2024-25 booked by Civil Ministries/ Departments, Telecommunications and Defence is ₹2,73,772 crore, Railways ₹60,203 crore and Posts ₹11,967crore.

2.6 निवेशः

सरकार का वर्ष 2024–25 में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य सरकारी संस्थाओं में निवल निवेश की अनुमानित राशि ₹2,49,258 करोड़ थी। 31 मार्च, 2025 तक कुल निवेश ₹21,57,521 करोड़ है।

(संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर)

2.6 Investment:

Government's Net investment in 2024-25 was ₹2,49,258 crore in PSUs and other Government entities. As on 31st March, 2025 total investment is ₹21,57,521 crore.

(Based on the information provided by respective Ministries/Departments)

2.7 सार्वजनिक ऋण के कारण सरकार की देनदारी

बाह्य ऋण (ऐतिहासिक लागत पर) सहित सार्वजनिक ऋण के अंतर्गत कुल बकाया देनदारियां 2023–24 में ₹1,52,64,446 करोड़ से बढ़कर 2024–2025 में ₹1,65,57,681 करोड़ हो गई हैं।

31 मार्च, 2025 को विनिमय दर पर परिवर्तित विदेशी ऋण ₹8,74,300 करोड़ है। विदेशी ऋण की वर्तमान विनिमय दर को ध्यान में रखते हुए, कुल सार्वजनिक ऋण ₹1,68,00,249 करोड़ होगा।

(संदर्भः विवरण 2 – वित्त लेखों की ऋण स्थिति का सारांश के नीचे फुटनोट)।

2.7 Liability of the Government on account of Public Debt

Total outstanding liabilities under Public Debt including External Debt (at historical cost) has increased from ₹1,52,64,446 crore in 2023-24 to ₹1,65,57,681 crore in 2024-2025.

The External Debt converted at the exchange rate as on 31st March, 2025 works out to ₹8,74,300 crore. Taking into account External Debt at current exchange rate, the Total Public Debt would be ₹1,68,00,249 crore.

(Ref: Footnote below the Statement No. 2 – Summary of Debt Position of Finance Accounts).

2.8 सरकार द्वारा दी गई गारंटी

भारत के संविधान के अनुच्छेद 292 के अनुसार, संघ सरकार ऐसी सीमाओं के भीतर गारंटी दे सकती है, यदि कोई हो, जिसे संसद द्वारा कानून द्वारा तय किया जा सकता है। संघ सरकार

2.8 Guarantees given by the Government

In accordance with the Article 292 of the Constitution of India, the Union Government may give guarantees within such limits, if any, as may be fixed by the Parliament by law.

द्वारा (i) उधारों की चुकौती और उस पर ब्याज का भुगतान, (ii) शेयर पूंजी का पुनर्भुगतान और न्यूनतम लाभांश का भुगतान, (iii) सरकारी कंपनियों/निगमों, रेलवे, संघ राज्य क्षेत्रों, राज्य सरकारों, स्थानीय निकायों, संयुक्त स्टॉक कंपनियों, सहकारी संस्थाओं आदि की ओर से समझौतों के सापेक्ष सामग्री और उपकरणों की आपूर्ति के लिए क्रेडिट आधार भुगतान आदि किया जाता है। ये गारंटी भारत के समेकित निधि पर एक आकस्मिक देयता बनाती हैं और इसे लेखों की बही में दर्ज नहीं किया जाता हैं, लेकिन इसे विवरण 4 में प्रकट की जाती हैं। जब गारंटी लागू की जाती है, तो सरकार द्वारा इसका भुगतान किया जाता है और इसे चूककर्ता प्रतिपक्ष के खिलाफ ऋण और अग्रिम के रूप में माना जाता है।

31 मार्च 2025 तक बकाया कुल गारंटीकृत राशि ₹3,33,455 करोड़ थी। वर्ष 2024–2025 के दौरान, ₹48,766 करोड़ की राशि की गारंटी दी गई। ₹5,070 करोड़ की राशि की गारंटी लागू की गई और सरकार द्वारा उसका भुगतान किया गया।

(संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना पर आधारित)

2.9 आईजीएएस के अनुसार प्रकटीकरण:

आईजीएएस	**प्रकटीकरण**
आईजीएएस 1 – सरकारों द्वारा दी गई गारंटी	वित्त लेखों की विवरण संख्या 4
आईजीएएस 2 – सहायता अनुदानों का लेखांकन और वर्गीकरण	वित्त लेखों की विवरण संख्या 9 का परिशिष्ट।
आईजीएएस 3 – सरकार द्वारा दिए गए ऋण और अग्रिम	वित्त लेखों का विवरण संख्या 3 और 15
आईजीएएस 4–पूर्व अवधि समायोजन	वित्त लेखों का विवरण संख्या 5

3. आकस्मिकता निधि:

भारत की आकस्मिकता निधि में ₹30,000 करोड़ का निधि है। आकस्मिकता निधि के अंतर्गत कोई भी राशि बिना वसूली के नहीं बची है। (संबंधित आँकड़े वित्त लेखे के विवरण 1, 12 और 13 में उपलब्ध हैं।)

4. लोक लेखा:

वर्ष 2024–25 के लिए लोक लेखा की मुख्य बातें इस प्रकार हैं:

The guarantees are given by the Union Government for (i) repayment of borrowings and payment of interest thereon, (ii) repayment of share capital and payment of minimum dividend, (iii) payment against agreements for supplies of materials and equipment on credit basis, etc., on behalf of Government companies/corporations, Railways, Union Territories, State Governments, local bodies, Joint Stock companies, co-operative institutions etc. These guarantees constitute a contingent liability on the Consolidated Fund of India and are not recorded in Books of Accounts but are disclosed in Statement No. 4. When the guarantees are invoked, the same is paid by the Government and is treated as Loan and Advances against the defaulting counterparty.

Total guaranteed amount outstanding as on 31st March 2025 was ₹3,33,455 crore. During 2024-2025, an amount of ₹48,766 crore was guaranteed. Guarantee of an amount of ₹5,070 crore was invoked and the same was paid by the Government.

(Based on the information provided by respective Ministries/Departments)

2.9 Disclosures in accordance with IGAS:

IGAS	***Disclosures***
IGAS 1 – Guarantees given by the Governments	Statement No. 4 of Finance Accounts
IGAS 2 – Accounting and Classification of Grants in Aid	Appendix to Statement No. 9 of Finance Accounts.
IGAS 3 – Loans and Advances made by the Government	Statement No. 3 and 15 of Finance Accounts
IGAS 4-Prior Period Adjustment	Statement No. 5 of Finance Accounts

3. Contingency Fund:

The Contingency Fund of India has a corpus of ₹30,000 crore. No amount remained un-recouped under Contingency Fund. (The relevant figures are available in Statement No. 1, 12 and 13 of the Finance Accounts.)

4. Public Account:

The highlights of Public Accounts for 2024-25 are as follows:

- वर्ष 2024–25 के लिए लघु बचतों भविष्य निधियों में प्राप्ति और संवितरण क्रमशः ₹23,66,634 करोड़ और ₹24,20,803 करोड़ है।

- वर्ष 2024–25 के लिए आरक्षित निधियों में प्राप्ति और संवितरण क्रमशः ₹7,99,502 करोड़ और ₹6,57,287 करोड़ है।

- वर्ष 2024–25 के लिए जमा और अग्रिम में प्राप्ति और संवितरण क्रमशः ₹11,33,365 करोड़ और ₹11,29,737 करोड़ हैं।

- वर्ष 2024–25 के लिए उचंत और विविध में प्राप्ति और संवितरण क्रमशः ₹1,71,513 करोड़ और ₹87,491 करोड़ है।

- वर्ष 2024–25 के लिए नकद शेष में प्राप्ति और संवितरण क्रमशः ₹3,232 करोड़ और ₹2,624 करोड़ है।

31 मार्च, 2025 को लोक लेखा का अंत शेष ₹11,12,640 करोड़ है।

4.1 लघु बचत के कारण देयताः

31 मार्च, 2025 तक लघु बचत, भविष्य निधि आदि के कारण केंद्र सरकार की देनदारी ₹9,53,433 करोड़ दर्शाई गई है। यह राशि उन निवेशों के निवल है, जिन्हें लघु बचत आदि के अंतर्गत विभिन्न लेखा शीर्षों के अंतर्गत डेबिट प्रविष्टि के रूप में दर्ज किया जाता है, जैसे कि विशेष राज्य सरकार प्रतिभूतियों में निवेश (₹2,78,798 करोड़), विभिन्न सरकारी उपक्रमों/सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (₹35,000 करोड़), राष्ट्रीय लघु बचत निधि (एनएसएसएफ) का घाटा (₹16,184 करोड़) और निजी निधि प्रबंधकों के माध्यम से डाक जीवन बीमा निधि (पीओएलआईएफ) में निवेश (₹1,46,083 करोड़)।

(संदर्भः विवरण 2 – वित्त लेखों की ऋण स्थिति का सारांश के नीचे फुटनोट)।

4.2 खजाना एकल लेखा (टीएसए) प्रणाली के तहत स्वायत्त निकायों के लिए निधियां

मुख्य शीर्ष 8454 – खजाना एकल लेखा (टीएसए) प्रणाली के तहत स्वायत्त निकायों के लिए निधि के तहत ₹4,45,223 करोड़ की राशि जमा की गई है, इसमें से ₹4,36,938 करोड़ का उपयोग वर्ष के दौरान किया गया है और ₹8,285 करोड़ की अव्ययित राशि को वर्ष के अंत में संबंधित कार्यात्मक शीर्ष में वापस दर्ज किया गया है।

4.3 लोक लेखे के अंतर्गत अन्य प्रासंगिक लेनदेनः

वर्ष 2024–25 के लिए निम्नलिखित मुख्य लेनदेनों/घटनाओं को प्रकट किया गया हैः

- Receipt and disbursement in Small Savings, Provident Funds for 2024-25 are ₹23,66,634 crore and ₹24,20,803 crore respectively.

- Receipt and disbursement in Reserve Funds for 2024-25 are ₹7,99,502 crore and ₹6,57,287 crore respectively.

- Receipt and disbursement in Deposit and Advances for 2024-25 are ₹11,33,365 crore and ₹11,29,737 crore respectively.

- Receipt and disbursement in Suspense and Misc. for 2024-25 are ₹1,71,513 crore and ₹87,491 crore respectively.

- Receipt and disbursement in Cash balance for 2024-25 are ₹3,232 crore and ₹2,624 crore respectively.

The closing balance of Public Accounts is ₹11,12,640 crore as on 31st March, 2025.

4.1 Liability on account of Small savings:

The liability of the Union Government on account of small savings, provident funds etc. on at 31st March, 2025 is shown as ₹9,53,433 crore. This amount is net of investments, which are booked as debit entry made under various head of accounts below small savings etc. such as investments in Special State Government Securities (₹2,78,798 crore), various Government undertakings/ PSE (₹35,000 crore), deficit of National Small Savings Fund (NSSF) (₹16,184 crore) and investment of Postal Life Insurance Fund (POLIF) through private fund managers (₹1,46,083 crore).

(Ref: Footnote below the Statement No. 2 – Summary of Debt Position of Finance Accounts).

4.2 Funds for Autonomous Bodies under Treasury Single Account (TSA) System

An amount of ₹4,45,223 crore has been credited under the MH 8454- Funds for Autonomous Bodies under Treasury Single Account (TSA) System during the financial year 2024-25, out of this ₹4,36,938 crore has been utilized during the year and unspent amount of ₹8,285 crore has been written back to the relevant functional head at the end of the year.

4.3 Other relevant transactions under the Public Account:

The following major transactions/events for 2024-25 are disclosed:

(i) लेखा शीर्ष 'मुख्य शीर्ष 3601 – राज्य सरकारों को सहायता अनुदान' और 'मुख्य शीर्ष 3602 – विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता अनुदान' से आरक्षित निधियों को अंतरण के लिए लेखांकन प्रक्रियाओं को मंजूरी दी गई है;

(ii) वित वर्ष 2022–23 में 'सॉवरेन ग्रीन फंड' नामक एक नई आरक्षित निधि बनायी गई थी। वर्ष के दौरान सॉवरेन ग्रीन बांड जारी करके ₹21,697 करोड़ की राशि अर्जित की गई।

(iii) आरक्षित निधि 'माध्यमिक एवं उच्चतर शिक्षा निधि तथा 'प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि' को लोक लेखा में संचालित किया गया है, ताकि क्रमशः 'स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर से शिक्षा एवं स्वास्थ्य क्षेत्र को आवंटित आय के भाग से संबंधित लेन–देनों को दर्शाया जा सके।

(iv) उचंत शेष और प्रतिकूल शेष की नियमित अंतराल पर निगरानी की जा रही है। मंत्रालयों द्वारा प्रस्तुत विवरण संख्या 13 की समीक्षा के समय, उचंत और प्रतिकूल शेष को उनके निपटान/समाधान हेतु उल्लेख किया जाता है।

4.4 मुख्य शीर्ष उचंत लेखे के अंतर्गत डेबिट/क्रेडिट शेष

31.03.25 को मुख्य शीर्ष 8658 के अंतर्गत शेष राशि ₹11,761 करोड़ है। डेबिट

31.03.25 को मुख्य शीर्ष 8659 के अंतर्गत शेष राशि ₹4,825 करोड़ है। डेबिट

31.03.25 को मुख्य शीर्ष 8660 के अंतर्गत शेष राशि ₹2,927 करोड़ है। डेबिट

31.03.25 को मुख्य शीर्ष 8661 के अंतर्गत शेष राशि ₹2,625 करोड़ है। क्रेडिट

31.03.25 को मुख्य शीर्ष 8662 के अंतर्गत शेष राशि ₹344 करोड़ है। क्रेडिट

5. नकद शेषः

भारत की समेकित निधि, आकस्मिकता निधि और लोक लेखा में कुल प्राप्तियों और व्यय तथा ₹3,232 करोड़ के आरंभिक शेष को ध्यान में रखते हुए, 31.3.2025 को यूजीएफए के अनुसार नकद शेष ₹2,624 करोड़ है।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, केंद्र सरकार (मुख्य शीर्ष 8673) का निवेश नकद शेष 31.03.2025 तक ₹78,442 करोड़ था।

(i) Accounting procedures for Transfers to Reserve Funds from the head of Account 'MH 3601 – Grants-in-aid to State Governments' and 'MH 3602-Grants-in- Aid to Union Territories with Legislature' have been approved;

(ii) A new reserve fund called 'Sovereign Green Fund' was created in Public Account in FY 2022-23. The amount raised during the year by issuing Sovereign Green Bonds is ₹21,697 crores;

(iii) The reserve funds 'Madhyamik and Uchchatar Shiksha Kosh' and 'Pradhan Mantri Swasthya Suraksha Nidhi' have been operationalized in Public Account to reflect the transactions relating to part of the proceeds allocated to Education and Health sector from 'Health and Education Cess', respectively.

(iv) Suspense balances and adverse balances are being monitored at regular interval. At the time of review of Statement No.13 submitted by the Ministries. Suspense and Adverse balances are pointed out for their clearance/ liquidation.

4.4 Debit/Credit Balance under Major Head Suspense Accounts

Balances under MH 8658- as on 31.03.25 is ₹11,761 crore Debit

Balances under MH 8659 as on 31.03.25 is ₹4,825 crore Debit

Balances under MH 8660 as on 31.03.25 is ₹2,927 crore Debit

Balances under MH 8661 as on 31.03.25 is ₹2,625 crore Credit

Balances under MH 8662 as on 31.03.25 is ₹ 344 crore Credit

5. Cash Balance:

Taking into account the total receipts and expenditure in the Consolidated Fund of India, Contingency Fund and Public Account and the opening balance of ₹3,232 crore, the cash balance as per UGFA as on 31.03.2025 is ₹2,624 crore.

In addition to the above, the investment cash balance of the Central Government (MH 8673) was ₹78,442 crore as on 31.03.2025.

भारतीय रिजर्व बैंक भी नकदी शेष बनाए रखता है और आरबीआई के अनुसार 31.03.2025 को नकद शेष ₹4,593 करोड़ है।

आरबीआई और यूजीएफए के अनुसार, नकद शेष में ₹1,962 करोड़ का अंतर है। इसका कारण (i) बैंक स्क्रॉल प्राप्त न होना/देरी से प्राप्त होना (ii) क्लीयरेंस मेमो और अंतर–सरकारी समायोजन प्राप्त न होना/देरी से प्राप्त होना, और (iii) विवरण समाधान में त्रुटियाँ हो सकती हैं। इनका समाधान किया जा रहा है।

The Reserve Bank of India also maintains the cash balance and the cash balance as per RBI as on 31.03.2025 is ₹4,593 crore.

The difference in cash balance as per RBI and UGFA is ₹1,962 crore. This can be attributed to (i) non-receipt/ delayed receipt of bank scrolls (ii) non receipt/delayed receipt of clearance memos and inter-governmental adjustments and (iii) mistakes in put through statements. These are under reconciliation.